

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdsheikhpura20@gmail.com

पत्रांक...../289...../

शेखपुरा, दिनांक.....22/08/2024...../

प्रेषक, ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,
श्री अनिल कुमार, (संवेदक)
ग्राम+पोस्ट-मालदह, थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा।
पिन-811101. मो0 नं0-7970341119.

विषय:- शीर्ष-MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ पचना चौक से पचना पासवान
टोला पथ में अनुरक्षण कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंग:- सहायक अभियन्ता, शेखपुरा का आवेदन दिनांक 19.08.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि शीर्ष-MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पचना चौक से पचना पासवान टोला पथ का स्थल निरीक्षण संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 19.08.2024 को BRRMS App के माध्यम से किया गया है, एवं स्थल निरीक्षणोंपरान्त उक्त पथ को असंतोषजनक (Unsatisfactory) श्रेणी में रखा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य नहीं कराया जा रहा है। सहायक अभियन्ता द्वारा अपने आवेदन में निम्नलिखित बातें कही गयी है :-

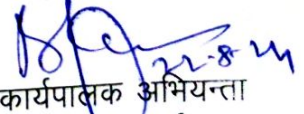
1. पंचवर्षीय अनुरक्षण साइन बोर्ड, KM Stone, 200m Stone तथा रोड साइनेज कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं है।
2. कुछ स्थानों पर Cement Concrete Pavement में मरम्मत की आवश्यकता है।
3. कुछ स्थानों पर Flank Shoulder में मिटटी भरने की आवश्यकता है।

आपके द्वारा किये गए एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य कराना आपकी पूर्ण जबाबदेही है।

अतः कार्यहित में निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर संबंधित सहायक अभियन्ता के देख-रेख में सभी आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें, अन्यथा वाध्य होकर आपके निबंधन को विभागीय डीबार सूची में डालने हेतु अनुशासित भेजते हुए एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा